दिनांक 07 एवं 08–अगस्त,2018 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 2539/110/तीन/97–VII दिनांक 02–08–2018, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 07, 08–अगस्त,2018 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों, शहर मिशन प्रबन्धकों एवं सिविल–इंजीनियर (सी.एल.टी.सी.) के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओं–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) तथा अन्य सभी योजनाओं की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् है:–

सर्वप्रथम बिना सूडा मुख्यालय को सूचित किये/अनुमति प्राप्त किये परियोजना अधिकारी, डूडा–इलाहाबाद एवं जालौन के समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं तीन दिवस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

SM&ID- सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत समूह गठन में 13 शहरों यथा अमेठी, बिसवॉ–सीतापुर, महमूदाबाद–सीतापुर, मुबारकपुर–आजमगढ़, तिलहर–शाहजहॉपुर, कोसी कला–मथुरा, छिबरामऊ–कन्नौज, कन्नौज, कालपी–जालौन, कोंच–जालौन, उरई–जालौन, जालौन, उझानी–बदायॅू एवं महोबा की प्रगति शून्य पायी गयी जिस पर सभी परियोजना अधिकारियों एवं शहर मिशन प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि अगस्त, 2018 तक निर्धारित लक्ष्यों को प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाय। उक्त के साथ ही इस घटक के अन्तर्गत गठित समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने की प्रगति अत्यन्त धीमी पाये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये कि जिन शहरों में इस घटक के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध है वह शहर अर्ह सभी समूहों को तत्काल रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त करें। यह भी निर्देश दिये गये कि रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त सभी ए0एल0एफ0 एवं समूहों को आय सृजनात्मक कार्यो से सम्बद्ध किया जाय, महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु कार्य किया जाय तथा जनपद हेतु निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" से भी समूहों को जोड़ा जाये।

स्वयं सहायता समूहों को आय सृजनात्मक कार्यों के संबंध में निर्देशित किया गया कि इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या–776/241/NULM/तीन/2001/SM&ID-III दिनांक 18.05.2018 के द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा नगरीय निकायों में गठित सभी समूहों को आय सृजनात्मक कार्यों से सम्बद्ध किया जाय। आय सृजनात्मक कार्यों से सम्बद्धता के संबंध में निर्देश दिये गये कि जनपद हेतु निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" की उत्पादन हेतु समूहों को प्रोत्साहित करते हुए स्वयं सहायता समूहों को सम्बद्ध किया जाय तथा कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) को बेहतर ढ़ंग से संचालित किये जाने के सम्बन्ध मे भी निर्देशित किया गया कि CLC में पंजीकरण तेजी से कराया जाये। CLC में पंजीकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कैम्पों का आयोजन कर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के साथ ही अन्य सभी कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कामगारों को भी पंजीकृत किया जाय, प्रचार–प्रसार के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सी0एल0सी0 को आत्म निर्भरता की ओर ले जाया जाये। उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 द्वारा समूहो के उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाये जाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान कर समूहो को भी सी0एल0सी0 में पंजीकृत करें तथा समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री सी0एल0सी0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित करायें। समूहों के उत्पादों की बिक्री विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ड, होम शॉप, शॉप 18 आदि से सम्पर्क कर समन्वयन के माध्यम से भी बिक्री कराना सुनिश्चित करें। सी0एल0सी0 हेतु एस0यू0एल0एम0, सूडा मुख्यालय में स्थापित कॉल सेन्टर से योजनाओं एवं सी0एल0सी0 के सम्बन्ध में टोल–फ्री नम्बर 1800 1800 155 का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

SUH- शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के सभी शहरी निकायों में शहरी बेघरों का थर्ड पार्टी सर्वेक्षण का कार्य गिरी विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। गिरी विकास अध्ययन संस्थान द्वारा कतिपय निकायों के सर्वेक्षण की अन्तरिम आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो लोकेशनवार है। उक्त आख्या

सम्बन्धित शहरों को इस कार्यालय के पत्र सं0–608/241/NULM/तीन/2001(SUH) SGIDS दिनांक 11.05.2018 के माध्यम से भेज दी गयी है। जिसकी पुष्टि सम्बन्धित शहरों के परियोजना अधिकारी/ सी0एम0एम0 से किये जाने की अपेक्षा की गयी है, जो कि कतिपय शहरों से अप्राप्त है, जिसके दृष्टिगत उक्त पुष्टि आख्या एवं सभी निकायों से जोन एवं वार्डवार मुहल्लों की सूची प्राप्त कर इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करा दें, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।

उक्त के साथ ही प्रदेश में थर्ड पार्टी सर्वे में पाये गये निकायवार आकड़े जिलों को इस कार्यालय के पत्र सं0–1863/241/NULM/तीन/2001(SUH)SLMC दिनांक 07.072018 के द्वारा भेज दिया गया है। इस प्रकार निकायों में पाये गये शहरी बेघरों की संख्या को संज्ञान में लेते हुए वर्तमान में आश्रय की उपलब्धता के अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन कर आश्रय गृह निर्माण हेतु गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में भूमि का चिन्हीकरण कराते हुए सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम के माध्यम से डी0पी0आर0 तैयार कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्धता की सद्यन समीक्षा किये जाने के संबंध में सूचित किया गया कि समिति द्वारा आगामी दिवसों में किसी भी शहर में शहरी बेघरों को आश्रय की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा हेतु भ्रमण किया जा सकता है जिसके लिए आवश्यक है कि संचालित सभी शेल्टर होम (DAY-NULM एवं NON DAY-NULM) में गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में सभी सुविधाएं/सेवायें तथा अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाय तथा उक्त की नियमित जॉच भी की जाती रहे।

संचालित सभी शेल्टर होम (NULM & Non NULM) की शेल्टर प्रोफाइल MIS, SULM को तत्काल निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि शहर में संचालित NULM एवं नगर निगमों के सभी शेल्टर होम की प्रोफाइल GOI के पोर्टल पर अपलोड हो गयी है। NULM के घटक एस0यू0एच0 के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण सभी शेल्टर होम का संचालन नगरीय निकायों के माध्यम से फिलहाल तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाये। शेल्टर संचालन हेतु ई–निविदा के माध्यम से एजेन्सी चयन प्रक्रियाधीन है। चयन की कार्यवाही पूर्ण होते ही एजेन्सी को शेल्टर होम के संचालन हेतु निकायों को संदर्भित किया जायेगा।

प्रदेश के शहरों में संचालित सभी (DAY-NULM एवं NON DAY-NULM) शेल्टर्स में शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के दिशा निर्देशों में उल्लिखित मानकों के अनुसार सभी आवश्यक सेवायें एवं सुविधायें सुनिश्चित करा दी जायें तथा शहरों में खुले में सो रहे शहरी बेघरों को आश्रय गृहों में मोबिलाइजेशन के माध्यम से लाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संचालित सभी DAY-NULM एवं Non DAY-NULM शेल्टर के संबंध में सभी परियोजना अधिकारियों/शहर मिशन प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि वह स्वयं शेल्टर होम्स का नियमित रुप से भ्रमण कर संचालन व्यवस्था सुनिश्चित कराये तथा यह भी सुनिश्चित करलें कि किसी भी शेल्टर होम में अथवा शेल्टर होम के आस–पास किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियॉ या कार्य ना होने पायें। किसी भी अप्रिय धटना स्थित की सम्भावना पाये जाने पर तत्काल जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के संज्ञान में उक्त तथ्यों को ला कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करायी जाये।

EST&P- घटक के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि पूर्व में घटक के अन्तर्गत प्रशिक्षित एवं प्लेसमेन्ट पाये सभी लाभार्थियों की सुचारू रूप से ट्रैकिंग करके आख्या उपलब्ध करायी जाय। ट्रैकिंग में लाभार्थी से वार्ता एवं भौतिक सत्यापन भी किया जाय। इस सम्बन्ध मे यह भी निर्देशित किया गया कि शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा शत–प्रतिशत सेवायोजन के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये तथा पी0ओ0/ए0पी0ओ0 द्वारा भी 15–20 प्रतिशत सेवायोजित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लाभार्थियों का समस्त विवरण रजिस्ट्रर पर अंकित किया जाये तथा जिस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाये उसके हस्ताक्षर भी रजिस्ट्रर पर किये जाये। तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये।

सेवायोजित किये गये प्रशिक्षार्थियों की 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अपलोड नही किये जा रहे है जोकि अत्यन्त खेद जनक है। अतः सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि सेवायोजित किये गये सभी प्रशिक्षार्थियों के 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अपलोड किये जाये और हार्ड कॉपी में संस्थावार CMMU/DUDA पर संकलित किया जाये।

असेसिंग बॉडीस को भुगतान के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्रशिक्षार्थियों के किये गये असेसमेन्ट के सापेक्ष असेसिंग बॉडीस का कई शहरों में भुगतान किया जाना लम्बित है जिसके संबंध में भारत सरकार स्तर पर हुयी

समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही लम्बित असेसमेन्ट भुगतानों को जारी किया जाय। उक्त के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या–614/241/NULM/तीन/2001/EST&P(SDI)AB-Vol-II दिनांक 11.05.2018 द्वारा असेसिंग बॉडीस के लम्बित भुगतानों को नियमानुसार शीघ्र जारी किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणः–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों में प्रारम्भ कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत जिन बैचों का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है उनको तत्काल रुप से एम0आई0एस0 पर उन बैचों को क्लोस किया जाये और प्रशिक्षार्थियों की असेसमेनट प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। संबंधित एन0एस0डी0सी0 पार्टनर द्वारा संबंधित सेक्टर के सेक्टर स्किल कौंसिल (SSC) से सम्पर्क करते हुए असेसमेन्ट प्रक्रिया की जानी है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों बुलन्दशहर, मैनपुरी, लखीमपुर, बाराबंकी, खलीलाबाद (सन्तकबीर नगर) एवं गाजीपुर में प्रशिक्षण कार्य नही प्रारम्भ नही हुआ है परन्तु एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रशिक्षार्थियों की इन्ट्री प्रदर्शित हो रही है, उक्त सभी शहरो को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त प्रशिक्षार्थियों की इन्ट्री को हटाने की कार्यवाही पूर्ण करें।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ कराये जाने के संबंध मेंः–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में ई–टेण्डर निविदा के माध्यम से शहरवार इम्पैनल्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची इस कार्यालय के पत्र संख्या–2247/241/NULM/तीन/2001 (EST&P)2017-18 दिनांक 20.07. 2018 एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पत्र संख्या–2498/241/NULM/तीन /2001(EST&P)2017-18 दिनांक 02.08.2018 एवं शहरवार लक्ष्यों का आवंटन पत्र संख्या–2511/241 /NULM/तीन/2001(EST&P)2017-18 दिनांक 02.08.2018 द्वारा जारी किये जा चुके है। सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के क्रम में यथाशीघ्र प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

SUSV- DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराया जाना मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है जिसकी निरन्तर समीक्षा शासन द्वारा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 14 शहरों (सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, झांसी एवं आगरा) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन 02 वर्ष अधिक समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 31.08.2018 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 16 शहरों (बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, लोनी, बुलन्दशहर, उन्नाव, हापुड, शांहजहांपुर, सम्भल, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन हुये लगभग 09 माह से 16 माह तक का समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 31.08. 2018 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया गया कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 अवश्य लिया जाय, जिसके संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। जिन शहरों में कुछ पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 सर्वे के दौरान प्राप्त नही हो पाये है, उन पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 प्राप्त करने हेतु कैम्पों, बैठको आदि का आयोजन किया जाये, जिन पथ विक्रेताओं के आधार

आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार किया जायेगा। मॉड्ल प्लान एवं DIP के संबंध में विवरण वेबसाइट पर अपलोड है।

SEP- DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I) के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों बदायूँ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सन्तकबीर नगर, बाराबंकी, प्रतापगढ़, आगरा, बिजनौर, औरैया, गाजियाबाद, मथुरा, हापुड़, अमरोहा, मेरठ, रामपुर, शामली, एटा, पीलीभीत, मुरादाबाद, झांसी एवं ललितपुर द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। SEP-I के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद, अलीगढ़, बांदा, बरेली, मैनपुरी, चित्रकूट, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, बहराइच, आजमगढ़, गोण्डा, वाराणसी, मऊ, लखीमपुर खीरी, बलिया, सीतापुर, मिर्जापुर, बस्ती, जौनपुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, इटावा, लखनऊ, सुलतानपुर, बलरामपुर, महाराजगंज, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर एवं इलाहाबाद के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह अगस्त, 2018 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SEP-G) के अन्तर्गत जनपदों यथा बिजनौर, बुलन्दशहर, हापुड़, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सम्भल (चन्दौसी), बहराइच, श्रावस्ती (भिन्गा), फैजाबाद, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, मिर्जापुर, फतेहपुर एवं रायबरेली जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद सम्भल, गाजियाबाद, झांसी, मथुरा, रामपुर, शाहजहॉपुर, बरेली, आगरा, मेरठ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कानपुर नगर, लखनऊ, मऊ एवं इलाहाबाद द्वारा मानक से कम लक्ष्य की प्राप्ति की गई है, जिस पर निदेशक महोदय द्वारा परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह अगस्त, 2018 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SHG-Bank Linkage) के अन्तर्गत जनपदों यथा अमरोहा, बदायूँ, चित्रकूट, कानपुर देहात, पीलीभीत, सहारनपुर, सीतापुर, चन्दौली, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, इटावा, सोनभद्र, श्रावस्ती, सन्तकबीर नगर एवं सिद्धार्थनगर जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद यथा औरैया, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, मैनपुरी, आगरा, सम्भल, बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर नगर, मथुरा, मुरादाबाद, मेरठ, मऊ, बहराइच, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, गोण्डा, रायबरेली, उन्नाव, सुलतानपुर, मिर्जापुर, हरदोई, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी (नवाबगंज), लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, फतेहपुर, गोरखपुर जनपदों द्वारा द्वारा मानक से कम लक्ष्य की प्राप्ति की गई है, जिस पर निदेशक महोदय द्वारा परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह अगस्त, 2018 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त निम्न जनपदों द्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक व्यक्तिगत समूह तथा एस0एच0जी0 बैंक लिकेंज में लक्ष्यों की प्रगति शून्य है, जिनका विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	SEP(I)	SEP(G)	SHG Bank Linkage
1.	कासगंज	औरैया, बागपत (बड़ौत), बांदा, बदायूँ, चित्रकूट, एटा, फर्रुखाबाद	बागपत (बड़ौत), बांदा, बिजनौर, हमीरपुर
2.	कन्नौज	गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर, हाथरस, जालौन (उरई), कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, ललितपुर, महोबा, मुरादाबाद, पीलीभीत, शामली, अम्बेडकर नगर, अमेठी	हाथरस, जालौन (उरई), कन्नौज, कासगंज, ललितपुर
3.	हाथरस	आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, चन्दौली, देवरिया, इटावा	महोबा, शाहजहॉपुर, अम्बेडकर नगर
4.	फर्रुखाबाद	गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, भदोही (ज्ञानपुर), जौनपुर, सन्तकबीर नगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज	अमेठी, बस्ती, शामली
5.	हरदोई	कौशाम्बी (मंझनपुर)	गाजीपुर

क्र0 सं0	SEP(I)	SEP(G)	SHG Bank Linkage
6.	फैजाबाद	कुशीनगर	भदोही (ज्ञानपुर)
7.	फतेहपुर	प्रतापगढ़	महाराजगंज
8.	चन्दौली	सोनभद्र	कौशाम्बी (मंझनपुर)
9.	श्रावस्ती (भिन्गा)	सुलतानपुर	कुशीनगर (पड़रौना)
10.	इलाहाबाद	वाराणसी	देवरिया

उपरोक्त जनपदों की प्रगति शून्य होने की दशा में निदेशक महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। साथ ही यह निर्देश भी दिये गये कि जून तक के निर्धारित लक्ष्यों तथा माह अगस्त, 2018 तक के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा इनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

CB&T- DAY-NULM के घटक क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये हैः–

- जनपद जालौन के श्री रंजीत सिंह, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के समस्त घटकों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने की स्थिति में माह अगस्त, 2018 का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये है, साथ ही जनपद श्रीमती अशिनी विजय, शाहजहॉपुर के शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा बैठक में अनुपस्थित होने के कारण माह अगस्त, 2018 के एक (01) दिन का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये।
- समीक्षा बैठक में जनपद इलाहाबाद के श्री राज कुमार द्विवेदी, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के समस्त घटकों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने तथा जनपद अमेठी के श्री अहसान अहमद, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के सोपक्ष प्रगति ना हो पाने की स्थिति में इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये।
- समीक्षा बैठक में जनपद बलिया के श्री विनय कुमार गौतम, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत Revolving Fund ALF को अवमुक्त नही किया गया है, जिसके फलस्वरुप इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये ।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास–

1. योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत डी0पी0आर0 में यदि लाभार्थी का नाम नहीं है परन्तु उसका जियो टैग कर दिया गया है, ऐसे जनपदों/निकायों में सम्बन्धित कन्सलटेन्ट इसका सुधार करें एवं पात्र एवं अपात्र दोनों लाभार्थियों की सूची तत्काल परियोजना अधिकारी को उपलब्ध करायें।
2. योजनान्तर्गत लाभार्थी को आवासीय सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी कन्वर्जेन्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
3. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि यदि पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 में अंकित लाभार्थी अपात्र की श्रेणी में है तो उसके स्थान पर पात्र लाभार्थी एवं अन्य पात्र लाभार्थी का चयन करते हुये प्रोजेक्टवार/निकायवार कर्टेलमेंट करते हुये संशोधित 7C या 7D एक सप्ताह में तैयार कर जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराते हुए सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. समीक्षा बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि प्रतिदिन योजनान्तर्गत कार्यों का अनुश्रवण स्काइप के माध्यम से किया जायेगा।
5. समीक्षा बैठक में परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यदि कन्सलटेन्टस अपने स्तर से एम0आई0एस0 नहीं उपलब्ध करा पा रहें तो वह अपने स्तर से पात्र व्यक्ति को एम0आई0एस0 नियुक्त करते हुये सम्बन्धित को सूचित कर दें। उक्त कार्य का सम्पादन तीन दिवस में सुनिश्चित करते हुये मुख्यालय को भी सूचित करें।
6. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों, कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे जियो टैग की प्रगति का दैनिक/साप्ताहिक अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

7. सभी परियोजना अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि वह योजनान्तर्गत प्रथम/द्वितीय चरण में प्राप्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुदान सं0–37, 83 एवं 81 के अलग–अलग) तीन दिवस में अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि धनराशि लाभार्थी के खाते में अन्तरित नहीं हो पायी है तो तीन दिवस में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. योजनान्तर्गत जो धनराशि अवमुक्त की गयी है उसके ब्याज की धनराशि बैंको में सुरक्षित रखे तथा इसका लेखा–जोखा अलग से तैयार करें।
9. जिन लाभार्थियों को **Higher Agency** के माध्यम से सूडा द्वारा पी0एफ0एम0एस0 से भुगतान किया गया है उन लाभार्थियों को खाते में धनराशि प्राप्त हो गयी है, का प्रमाण–पत्र परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा दिया जायेगा इसके अतिरिक्त **Payment By Higher Agency** पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा का जो अनुमोदन प्राप्त हुआ है उसकी छायाप्रति भी सूडा मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
10. समीक्षा बैठक में कई जनपदों के परियोजना अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित कन्सलटेन्टस द्वारा उनके जनपद में पर्याप्त स्टाफ नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे योजना की प्रगति प्रभावित हो रही है। तत्क्रम में निर्देशित किया गया कि संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायें।
11. समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि जितने लाभार्थियों का जियो टैग हो चुका है उनकी पत्रावली तीन दिवस के अन्दर सम्बधित परियोजना अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे लाभार्थी को प्रथम किस्त का भुगतान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।
12. स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैग हो चुके आवासों के मोडरेशन का कार्य सी0एल0टी0सी0/सी0एम0एम0 द्वारा किया जायेगा।
13. समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि यदि किसी जनपद में संस्था (HFA-POA)वाले डाटा–वैलिडेशन का कार्य शीघ्र नहीं कर पा रहे तो परियोजना अधिकारी अपने स्तर से कार्य पूर्ण कराकर मुख्यालय को सूचित करते हुये वांछित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित संस्था से प्राप्त करें।
14. सभी परियोजना अधिकारियों/कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे आगामी 7 दिवस में चयनित पात्र लाभार्थियों का विवरण पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर हाई लेविल एजेंसी के माध्यम से सूडा मुख्यालय को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें तथा जहॉ प्रथम किश्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है एवं कार्य लिन्टल लेविल तक पहुंच गया है वहॉ द्वितीय किश्त की धनराशि नियमानुसार अन्तरित किये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
15. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय के संबंध में निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत किये गये प्रशासनिक व्यय का अलग से बिल बाउचर संकलित करें तथा उसका अलग से लेखांकन किया जायें, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। उक्त धनराशि की जनपद स्तर पर तैयार की जाने वाली बैलेंस सीट में अलग से इट्री की जायें। सम्बधित बिल बाउचर की छायाप्रति प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मदवार विवरण के साथ संलग्न कर एस0एल0टी0सी0 की ई–मेल आइ.डी. पर भेजना सुनिश्चित करें।
16. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित कराया गया कि वे अपने जनपद की सभी निकायों के बी0एल0सी0 घटक को मासान्त तक संतृप्त कराना सुनिश्चित करें।
17. जिन निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन निकायों के प्लान ऑफ एक्शन जनपद स्तरीय निगरानी समिति से कराने से पूर्व लाभार्थियों के समस्त प्रपत्र प्राप्त कर लें।
18. निर्देशित किया गया कि किसी भी कन्सलटेन्टस (HFA-POA/DPRPMC) द्वारा कोई भी लाभार्थी निरस्त/अपात्र नहीं किए जायेगें, बल्कि निरस्त/अपात्र किये जाने वाले लाभार्थियों की सूची कारण सहित परियोजना अधिकारी को उपलब्ध करायी जायें जिसे परियोजना अधिकारी अपने स्तर से जांच कराते हुए पात्र/अपात्र लाभार्थियों का निर्धारण करते हुये अन्तिम सूची तैयार करायेंगें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना–

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सभी सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पूर्ण आवासों के सापेक्ष एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कम्पलीशन सार्टीफिकेट मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो चुके है तथा

आवंटन नहीं हुआ है, परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उन परियोजनाओं में तत्काल आवंटन कराकर कब्जा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं अभिकरण मुख्यालय को सूचना भी प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही सूडा / संबंधित डूडा / कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना–

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा 15 दिनों में पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये। सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को भी निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में निर्माणकार्य बन्द हैं वहां शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराए।

(कार्यवाही–सूडा / संबंधित डूडा / कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना–

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनका तत्काल आवंटन सुनिश्चित कराते हुए उनका कार्य–पूर्ति प्रमाण पत्र एवं आवंटन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सभी सम्बधित परियोजना अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में द्वितीय किस्त अवमुक्त की जानी है उनकी यू0सी0 / निरीक्षण आख्या, 19–कालम रिपोर्ट,फोटोग्राफ आदि सभी कागजात एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत नगर निगम वाले जनपदों हेतु 02 से 03 करोड़ तक के प्रस्ताव तथा अन्य जनपदों हेतु 01 से 02 करोड़ तक के प्रस्ताव मा0 सांसदों / विधायकों से सहमति प्राप्त करते हुए अभिकरण मुख्यालय को एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट का सदुपयोग सुनिश्चित करने के दृष्टिगत शीघ्र दिशा–निर्देशों के अनुसार नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

परियोजना अधिकारी, डूडा जो कि जनसूचना अधिकारी के रूप में भी नामित हैं हेतु मासिक समीक्षा बैठक के अवसर पर निदेशक महोदय के स्तर से निम्नवत निर्देश निर्गत किये गये :–

1– अधिनियम के अनुसार आवेदक का आवेदन पत्र डूडा कार्यालय पर प्राप्त होने की तिथि से आवेदक को सूचना 30 दिवस के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। इंगित किया गया कि अभिकरण मुख्यालय पर जिस संख्या में प्रथम अपीलें योजित हो रही हैं उसका मुख्य कारण समयावधि के भीतर उत्तर न दिया जाना दृष्टिगत है।

2– यदि आवेदक की सूचना संबंधित डूडा कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है तो संबंधित विभाग को आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अन्तरित कर दिया जाये। ऐसा न करने पर प्रथम अपील या द्वितीय अपील की स्थिति आने पर संबंधित डूडा का दायित्व निर्धारित होने अथवा दण्डित होने की संभावना बन जाती है। सचेत किया गया कि विगत दिनों विभिन्न जिलों के पांच विविध प्रकरणों में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय के स्तर से 25–25 हजार रूपये जुर्माना लगाये जाने का प्रकरण सामने आया है। यह स्थिति जनपदीय डूडा के स्तर से समय से सूचना न देने, अपूर्ण सूचना देने या ऐसे ही कतिपय कारणों से उत्पन्न हुई है।

3– निर्देशित किया गया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र मिलने पर उसके द्वारा वांछित प्रपत्रों की छायाप्रतियॉ अथवा सी0डी0 इत्यादि की मांग निर्धारित समयावधि में कर ली जाये। प्रायः जनपद स्तर से निर्धारित समयावधि 30 दिवस के अन्दर आवेदक से अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रति पृष्ठ अथवा प्रति

सी0डी0 का शुल्क न मांगे जाने के कारण डूडा स्तर से सूचना देने पर आवेदक को निःशुल्क सभी प्रपत्र उपलब्ध कराने होते हैं जिसमें डूडा स्तर पर शिथिलता के कारण शासकीय व्यय उठाना पड़ रहा है।

4— इंगित किया गया कि राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक सोमवार को उस सप्ताह की समस्त आयुक्तों की सुनवाई संबंधी सूची प्रदर्शित कर दी जाती है। प्रत्येक डूडा के जनसूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके कार्यालय से संबंधित कोई प्रकरण सुनवाई हेतु सूचीबद्ध तो नहीं हुआ है।

5— राज्य सूचना आयोग में परिवाद सूचीबद्ध होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का प्रयास करें। किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थिति का समुचित कारण दर्शाते हुए लिखित रूप से अधिकृत सक्षम कार्मिक को सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

विधायी प्रकरणों से संबंधित बिन्दु

उपर्युक्त बिन्दु के संबंध में मासिक समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश निर्गत किए गये :—

उत्तर प्रदेश विधानसभा अथवा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अधीन गठित समितियों यथा आश्वासन समिति, प्राक्कलन समिति विनिमयन समीक्षा समिति इत्यादि की बैठकें शासन स्तर से सीमित समयावधि के अन्तराल पर आयोजित होने की सूचना प्रायः प्राप्त होती है। उक्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील बैठकों हेतु समयबद्ध वांछित सूचनायें उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य एवं बाध्यकारी होता है। इसके दृष्टिगत सभी परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके जनपद में डूडा से संबंधित विविध प्रकरणों की अलग—अलग समितियों हेतु संदर्भित अथवा लम्बित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी समस्त सुसंगत तथ्यों सहित समयबद्ध तरीके से तैयार रखी जायें ताकि सूडा मुख्यालय से अल्प समय में सूचना मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध हो सके।

इन सूचनाओं को जनपद स्तर से जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा अथवा परियोजना निदेशक, डूडा के स्तर से ही हस्ताक्षरित कर प्रेषित किया जाये। इसी प्रकार विधानसभा अथवा विधान परिषद अथवा लोकसभा या राज्यसभा संबंधी प्रश्नों व विभिन्न नियमों से संबंधित सूचनायें भी उपरोक्तानुसार प्रेषित करायी जायें। **(कार्यवाही—परियोजना अधिकारी, संबंधित डूडा/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)**

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0)—

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत जनपद— आगरा,ओरैया,गौतमबुद्धनगर, कन्नौज, कानपुरनगर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुज्जफ्रनगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर के परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के संबन्ध में प्रति दिन पोर्टल को चेक करने एवं शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—संबंधित डूडा/सूडा)

14.8.2018

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

<u>राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश</u>

पत्रांक–2825 /110/तीन/97 Vol-VII दिनांक–16/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

14.8.2018

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक